

पशु क्रूरता नविवरण (संशोधन) वधियक-2022 का मसौदा

प्रलिस के लयि:

पशु क्रूरता नविवरण अधनियम, वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972

मेन्स के लयि:

पशु क्रूरता नविवरण (संशोधन) वधियक-2022 और संबधति मुददे

चरचा में क्यौं?

हाल ही में सरकार ने पशु क्रूरता नविवरण अधनियम, 1960 में संशोधन करने के लयि पशु क्रूरता नविवरण (संशोधन) वधियक-2022 का मसौदा पेश कयिा है।

- यह मसौदा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा तैयार कयिा गया है।

प्रस्तावति संशोधन:

■ वहशीता (Bestiality) एक अपराध:

- मसौदे में 'वीभत्स क्रूरता' की नई श्रेणी के तहत अपराध के रूप में 'पशुओं' को शामिल कयिा गया है।
- "बेस्टियलिटी" का अरथ है मनुष्य और पशु के बीच कसिी भी प्रकार की यौन गतविधि या यौन संसर्ग।
- वीभत्स क्रूरता को "एक ऐसा कार्य जो पशुओं को अत्यधिक दर्द और पीड़ा देता है तथा आजीवन वकिलांगता या मृत्यु का कारण बन सकता है", के रूप में परभाषति कयिा गया है।

■ वीभत्स क्रूरता के लयि दंड:

- न्यायकि मजसि्ट्रेट द्वारा उस कषेत्तर के पशु चकितिसकों के परामर्श से न्यूनतम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कयिा जा सकता है, या जुर्माना राशान्यायकि मजसि्ट्रेट द्वारा नरिधारति की जा सकती है, जो भी अधिक हो, या अधिकितम एक वर्ष का कारावास जसि तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

■ पशु हत्या के लयि दंड:

- जुर्माने के साथ अधिकितम 5 वर्ष का कारावास।

■ पशुओं के लयि स्वतंत्रता:

- मसौदे में एक नई धारा 3A को शामिल करने का भी प्रस्ताव है, जो पशुओं को 'पाँच प्रकार की स्वतंत्रताएँ' प्रदान करता है।
- कसिी पशु को रखने वाले प्रत्येक व्यक्तिका यह कर्तव्य होगा कविह यह सुनिश्चति करे कउसकी देखभाल में रह रहे पशु के नमिनलखिति अधिकार हों:
 - प्यास, भूख और कुपोषण से मुक्त
 - पर्यावरण के कारण होने वाली असुवधि से मुक्त
 - दर्द, चोट और बीमारयिों से मुक्त
 - प्रजातयिों के लयि सामान्य व्यवहार व्यक्त करने की स्वतंत्रता
 - भय और संकट से मुक्त

■ सामुदायकि पशु:

- सामुदायकि पशुओं के मामले में स्थानीय सरकार उनकी देखभाल के लयि ज़मिेदार होगी।
- मसौदा प्रस्तावों में सामुदायकि पशु को "एक समुदाय में पैदा होने वाले पशु के रूप में पेश कयिा गया है, जसिके लयिन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972 के तहत परभाषति जंगली पशुओं को छोड़कर कसिी स्वामतिव का दावा नहीं कयिा गया है।

पशु क्रूरता नविवरण अधनियम, 1960

■ परिचय:

- इस अधिनियम का उद्देश्य 'पशुओं को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना' है, जिसके लिये अधिनियम में पशुओं के प्रती अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना की गई थी।
- यह अधिनियम पशुओं और पशुओं के विभिन्न रूपों को परभाषति करने के साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग (experiment) से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
 - पहले अपराध के मामले में जुर्माना जो दस रुपए से कम नहीं होगा लेकिन यह पचास रुपए तक हो सकता है।
 - पछिले अपराध के तीन वर्ष के भीतर किये गए दूसरे या बाद के अपराध के मामले में जुर्माना पच्चीस रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन यह एक सौ रुपए तक हो सकता है या तीन महीने तक कारावास की सज़ा या दोनों हो सकती है।
- यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- यह अधिनियम पशुओं की प्रदर्शनी और पशुओं का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान करता है।

■ आलोचना:

- सज़ा की तीव्रता कम होने, "क्रूरता" की अपर्याप्त परभाषा और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना एक ही सज़ा लागू करने के कारण इस अधिनियम की 'प्रजातवादी' होने के संबंध में आलोचना की गई है (सरल शब्दों में कहें तो, यह ऐसी धारणा है जिसमें मनुष्य एक बेहतर प्रजाति है जिसके पास अधिक अधिकार होने चाहिये)।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2014)

1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत की गई है।
2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है।
3. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है।
- इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था। इसने गंगा नदी को भारत की 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया। यह तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) के अधीन कार्य करता है। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण, और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

अतः विकल्प (b) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस